

दिनांक:—03.06.2019

प्रार्थना-पत्र पेश होने पर पत्रावली आज पेशी में ली गयी। प्रार्थी स्वयं उपस्थित प्रार्थना-पत्र में अकिंत किया है कि 212 आर.टी.ए. प्रार्थना-पत्र में विधिक त्रुटि रह गयी है। जिस कारण अपना प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी. ए. आगे चलाना नहीं चाहता व जरिये Withdrawl खारिज करवाना चाहता है। वादी की पहचान श्री सुशील कुमार वकील ने की। प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर दिनांक 31.05.2019 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी स्वयं के निवेदन पर जरिये Withdrawl खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।